न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट नदबई

(श्री विनोद कुमार मीना आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या 63/2017

अर्न्तगत धारा 88,89,188 आरटी एक्ट

निर्णय दिनांक 19.8.2019

1. जयवीर पिसरान मलूका जाति जाटव निवासी करीली तहसील नदबई जिला
2. कपूरा भरतपुर

बनाम

1. गुलाबसिंह
2. महावीरसिंह पिसरान कैलासिंह जाति जाटव निवासी करीली तहसील नदबई
3. अजयपाल पिसरान फुलसिंह
4. रवि
5. गुड्डी पत्नि सुगड़सिंह
6. प्रकाश पुत्र रामकिशन
7. राधे पुत्र रामकिशन
8. सुमरन पिसरान मंगल
9. हरवीर
10. रामवीर
11. वीरेन्द्रसिंह पिसरान मनहोती जाति जाटव निवासी करीली तहसील नदबई
12. नाहरसिंह
13. बबलू
14. मनोज
15. शाखा प्रबधक पंजाब नेशनल बैक नदबई
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

उपस्थित

1 भरतलाल चौधरी एडवोकेट

2 सुरेश सिंह एडवोकेट

3 रमेश देशवाल एडवोकेट

दिनांक 19.8.2019

निर्णय

दावा श्री भरतलाल चौधरी एडवोकेट द्वारा पेश किया गया। जिसका सक्षेप सार इस प्रकार है। यह है कि विवादित आराजी खाता संख्या 504 के खसरा संख्या 798 रकबा 0.17 2808रकबा 0.21, 2813 रकबा 0.26 2885/876 रकबा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

रकबा 0.07,2887/801 रकबा 0.15, 2888/1279 रकबा 0.32 ,2897/2810 रकबा 0.13, 2898/2812 रकबा 0.02किता 8 रकबा 1.38 हैक्ट0 व खाता संख्या 686 के आराजी खसरा संख्या 1193 रकबा 0.20,1197 रकबा 0.20 ,1198 रकगा 0.20 किता 3 रकबा 0.60 हैक्ट0 वाके ग्राम करीली तहसील नदबई में स्थित हे।

जबकि आराजी मुतदाबिया वर्णित 2 वाद पत्र में अंकित खातेदारी की आराजी के खाता संख्या 504 खसरा सख्या 798,2808,2813,2885/876,2887/881,2888/1279,2897/2810,2898/2812 किता 8 रकबका 1.38 हैक्ट0 वाके ग्राम करीली नदबई वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की पैत्रिक सम्पति है। जो मृतक बाबा रामखिलाडी पुत्र मटोली की खातेदारी की है जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण अपने आपको खातेदारी घोषित करा पाने का अधिकारी है।

यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाबा मृतक रामखिलाडी का सजरा निम्न प्रकार से वाद पत्र मे दर्शाया गया है जो दावा को लडने व फैसले मे सहायक सिद्व होगा।

रामखिलाडी (मृतक)

1

मलूका(मृतक) — जयवीर वादीसं01, कपूरा वादीस02

कैलासिंह (मृतक) — गुलाबसिंह प्रति0स01, महावीरसिंह प्रति0सं02

फूलसिह(मृतक) — अजयपाल प्रति0स03, रवि प्रति0स04

यह है विवादित आराजी खाता संख्या 686 के खसरा संख्या 1193 रकबा 0.20,1197 रकबा 0.20 ,1198 रकबा 0.20 किता 3 रकबा 0.60 हैक्ट0 वाके ग्राम करीली तहसील नदबई में वादीगण के पिता मलूका व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के पिता कैलासिंह व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता फूलसिंह 1/12,1/12 हिस्से के हाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। तथा 1/12 हिस्से मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की दादी भगवन्ती पत्नि रामखिलाडी का हाल राजस्व रिकार्ड मे खातेदारीका इन्द्राज है। जियमे भगवन्ती की मृत्यु हो गई है। जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का हिस्सा बराबर यानि 1/3,1/3 हिस्सा पर मनवट के आधार पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन इस समय वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच मनवट के आधार पर काबिज होकर काश्त करना संभव नही रहा है। ऐसी सूरत मे वादीगण विवादित आराजी वर्णित हुए संख्या 2 वादपत्र का कानूनी बॅटवारा किये जाने हेतु न्यायालय से बॅटवारा की प्रीमीनल डिक्री पारित करवाकर तहसीलदार नदबई के लिए कुर्रा रिपोर्ट भेजी जाकर प्राप्त कुर्रा रिपोर्ट की फाइनल डिकी घोषित करा पाने के अधिकारी है।

उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण ने वादीगण के लिए दिनांक 20.1.2019 को व मुकाम करीली तहसील नदबई पर एलानियां धमकी दी है। वह बिना बॅटवारा किये आराजी मुतदाबिया को रहनवय मुन्तकिल कर कब्जे से बेदखल करके रहेगे। अगर प्रतिवादीगण अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नगद नही हो सकेगी। अतः वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दावामी की डिकी से पांबद करा पाने का अधिकारी है। वादीगण की कब्जे काश्त आराजी मे किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करे एवं रहनवय मुन्तकिल न करे। तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

वादीगण व प्रतिवादी के पिता मलूका व कैलासिंह व फूलसिंह की मृत्यु मृतक रामखिलाडी से पूर्व मे व बाद मे हुई है।

वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्ननुसार फरमाये जाने की प्रार्थना की गई है। विवादित आराजी मुतदिबिया वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र की खाता संख्या 504 मे मृतक रामखिलाडी के नाम से हाल खातेदारी के इन्द्राजात हो रहे हे। उनके स्थान पर वादीगण संख 1व 2 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादीगण संख्या 1व 2 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को 1/3 हिस्से का खाता संख्या 666 मे हाल राजस्व रिकार्ड भगवन्ती पत्नि रामखिलाडी के नाम के 1/12 हिस्से की खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 , तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को वा हिस्सा बराबर यानि 1/3,1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आराजी मुतदाबिया वर्णित आराजी मद संख्या 2 वाद पत्र मे सामन्तर तीन कुर्रे जात किये जाकर अलग-अलग खातेदारी एवं अलग अलग लगान घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे। ताकि वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करे।

दावा को सही मानिका कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 14 की ओर से उपस्थित होकर विद्वान अधिवक्ता एमेश देशवाल ने इकबाल दावा पेश किया। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुरेशसिंह उपस्थित हुऐ। तथा दिनांक 07.3.2019 को प्रतिवादी संख्या 1लगायत 4 के अधिवक्ता सुरेशसिंह व वादी संख्या 1व 2 के अधिवक्ता भरतसील द्वारा राजीनामा पेश किया। जिसे दिनांक 07.8.2019 को वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा को तसदीक गई। तथा अपने राजीनामा में लिखा कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के बीच विवादित आराजी मुतदाकिया वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र के संम्बध मे इस कदर राजीनामा हो गया है। हाल राजस्व रिकार्ड मे मृतक रामखिलाडी व दादी भगवन्ती के नाम खातेदारी का इन्द्राज चले आ रहे है। उन दोनो मृतक के नाम को कलमजन करवाकर 1/3 हिस्सा में

उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

Scanned by CamScanner

वादीगण व 1/3 में असल प्रतिवादीगण 1व 2 व 1/3 हिस्सा में असल प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को वा हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मौके अनुसार तीन समान्तर कुर्रेजात किये जाकर अलग अलग खातेदारी व अलग लगान घोषित किया जावे मुताबिक राजीनामा दावा डिकी किये जाने को पूर्ण सहमत हैं

साक्ष्य के तौर व वादीगण के अधिवक्ता द्वारा नकल हाल जमाबंदी 2074–77 खाता संख्या 504,686, व शपथ पत्र pw 1 2 3 पेश किये गये। तथा रामखिलाडी व मालूका का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति पेश की गई।

हमने वादी के वादपत्र व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया। एवंम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र वाद हेतुक के बगैर प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा अपने बाबा व पिता की मृत्यु के बाद विरासत द्वारा रिकार्ड अधतन न करा पाने का कोई कारण अपने वादपत्र व बहस मे नही बताया । साथ ही वादपत्र मे मद संख्या 7 मे वादीगण द्वारा बताया की प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल करने की धमकी दी है। जबकि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2074–77 मे विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के बाबा मृतक रामखिलाडी के नाम दर्ज रिकार्ड है तो प्रतिवादीगण द्वारा बेचान किया जाना संभव नही है। वादीगण के वाद पत्र की मद संख्या 7 मे प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी को रहन वय करने की धमकी देने का उल्लेख हैं। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा उपस्थित दी। प्रथम पेशी पर ही वादपत्र के तथ्यों को स्वीकार करना भी वादपत्र के बिना वाद हेतूक के वाद प्रस्तुत करने को साबित करना है। साथ ही वादीगण द्वारा अपने सजरे को सिद्व करने के लिए कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया है।

उपर्युक्त विवेचन के मध्य नजर हम वादीगण के वाद को काबिले खारिज समझते है। अतः दावा वादीगण के वाद को खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19. 08. 2019 को लिखया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जाकर दाखिल दफतर हो

विनोद कुमार मीना
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर

उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

Scanned by CamScanner